GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1505
(TO BE ANSWERED ON 04.12.2024)

RECONSIDERATION OF RETIREMENT AGE

1505. SHRI TEJASVI SURYA:

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

(a) whether the Government proposes to revise the age of superannuation of all Government employees after completing a maximum service period of 30 years or completing 60 years as per the date of birth, whichever is earlier, so as to have uniformity in civil services & also provide an opportunity for youth of the Nation in light of the available data on eligible youth for employment i.e., those who are borne after 2000;
(b) if so, the details thereof;
(c) if not, whether there is any reconsideration regarding the age of retirement for Government employees; and
(d) the measures taken by the Government to provide more employment for the youth in civil services?

ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE
(DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (c): No such proposal is under consideration of the Government.

(d): Government is constantly engaged in formulation of polices, programmes and other measures for providing employment for the youth in civil services, based on the requirement as per Transaction of Business in the Government. Ministries/ Departments of the Central Government have been directed from time to time, to fill up vacant posts in a time bound manner. Rozgar Melas are organized by the Government for filling up vacancies in Mission Mode across all the Central Government Ministries/ Departments/ Central Public Sector Undertaking (CPSUs)/ Autonomous Bodies/ Education and Health Institurions etc.in a time bound manner, providing employment to youth in civil services.

******

•-• https://www.staffnews.in •-•

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1505

(दिनांक 04.12.2024 को उत्तर के लिए)

सेवानिवृत्ति की आयु पर पुनर्विचार

1505. श्री तेजस्वी सूर्या :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 30 वर्ष की अधिकतम सेवा अवधि पूरी करने अथवा जन्म तिथि के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, इनमें से जो भी पहले हो, सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि सिविल सेवाओं में एकरूपता हो और रोजगार हेतु पात्र युवाओं अर्थात वर्ष 2000 के बाद जन्म लेने वाले युवाओं के उपलब्ध आंकड़ों के मद्देनजर राष्ट्र के युवाओं को अवसर प्रदान किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में कोई पुनर्विचार किया जा रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा सिविल सेवाओं में युवाओं को और अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) : ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) : सरकार में कार्य संचालन के अनुसार अपेक्षा के आधार पर, सरकार सिविल सेवाओं में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य उपायों के प्रतिपादन में निरंतर लगी हुई है। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए समय-समय पर निदेश दिए गए हैं। केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू)/स्वायत्तशासी निकायों/शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों आदि में रिक्त पदों को मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से भरने के लिए रोजगार मेला आयोजित किए जाते हैं ताकि सिविल सेवाओं में युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा सके।

*****

•-• https://www.staffnews.in •-•